

# मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त - सितम्बर, 1995 सत्र

## कैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1995 (मात्र 31, 1917)

तमय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रबन्धन

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पठन पर रखा जाना

(1) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज स्कट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पठन पर रखेंगी।

(2) श्री रत्नेश सौलोमान, राज्यमंत्री, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, वेयर हाउसिंग कारपरिशान स्कट 1962 की धारा 31-ए की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का 37वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 1994-95 पठन पर रखेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानार्थण

(1) सर्वश्री विक्रम वर्मा, मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के बाबई स्थित कृषि फार्म को निजी कंपनी को बेचे जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री कैलाश विजयवर्णीय, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, इन्दौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में एम.बी.स. छात्रों के प्रवेश निरस्त किये जाने की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री रामबरन सिंह गुर्जर, सदस्य, मध्यप्रदेश तिलहन संघ के मुरैना स्थित सरसों संयंत्र में अनियमिततायें होने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य, जल संसाधन विभाग के अतिशेष कर्मचारियों को योजना मद से वेतन भुगतान करने से विकास कार्य प्रभावित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विद्यालय जिले के ग्राम इकबाल गंज में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री धरमू राय, सदस्य, सागर जिले के खिमलासा रोड पर एक ट्रक में मवेशी पाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) डॉ. कन्हैयालाल शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले के कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों में जंगलों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री रामेश्वर अखण्ड, श्रीवा कोटवानी, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, उज्जैन की इन्दौर टेक्सटाइल मिल चालू न किये जाने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री रघुनन्दन शर्मा, दिलीप भट्टे, सदस्य, बालाघाट जिले की बैद्यर उप जेल से दो कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) सर्वश्री ईश्वरदास रोहणी, दिलीप भटेरे, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, प्रदेश के मेडिकल स्वं हँजीनियरिंग कॉलेजों में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश देने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री आँकार प्रसाद तिवारी, मोती कश्यप, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, सिवनी के एक विधायक के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, बैरसिया वन परिक्षेत्र अन्तर्गत तेन्दु पत्ता श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर पुलिस द्वारा जप्त अवैध शाराब के कागजातों में हेरा-फेरी किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम खंडवा में बिजली गिरने से छः व्यक्तियों की मौत होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में भूमि आवंटन में अनियमितता होने की ओर भोपाल गैस त्रासदी, राहत स्वं पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक ग्रामों में फैली बीमारी से हजारों पशुओं की मौत होने की ओर राज्यमंत्री पशुपालन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) सर्वश्री रामदयाल प्रभाकर, मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम खुर्द में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री विराजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले के अनेक ग्रामों में एक अपराधी द्वारा आतंक फैलाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बनवारी की एक पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कृत्य किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, सीधी जिले के अमलोरी कोयला खदान के बाहर आंदोलनकारी श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चालन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले के कन्नौद स्वं खातेगांव वन क्षेत्र में पशुओं द्वारा अवैध चराई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बोरनाज स्वं जमानिया में आदिवासी परिवारों के साथ मारपीट कर उनकी फसलें जलाए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम अकोड़ा में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के बम्होरी थानान्तर्गत ग्राम दैरी में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) डॉ. देवचरण सिंह "मधुकर", सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम मस्तूरी के एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, रायसेन के युनाइटेड सोया प्रोडक्ट के प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों का शोषण किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर-भोपाल मार्ग पर बस दुर्घटना के मृतकों के परिवारजनों स्वं घायलों को पर्याप्त सहायता न मिल पाने की ओर राज्यमंत्री परिवहन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

186

(1) डॉ. गौरीशंकर शोजवार, सभापति, लोक लेखा समिति का बयालिसवां, तिरतालिसवां, चवालिसवां, पैतालिसवां, छियालिसवां, तैतालिसवां, अड़तालिसवां, उनचासवां, पचासवां, इक्क्यावनवां, बावनवां, तिरपनवां एवं चौवनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सैतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां, इक्क्यावनवां एवं बावनदां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री पुष्पराज सिंह, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री अमिका शुक्ल, सभापति, प्रबन्ध एवं संबंध समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री सत्यव्रत चतुर्वदी, सभापति, याचिका समिति का अष्टम, नवम्, दशम् एवं च्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"बीज निगम द्वारा घटिया बीज एवं कीटनाशक का प्रदाय करने के संबंध में गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

(2) श्री धनेश पटिला, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"सागर के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

(3) श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, सतना जिले के ग्राम जनार्दनपुर के नागरिकों को भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

(2) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के-

(क) ग्राम लहरबुजुर्ग में नल-कूप खनन कराये जाने,

(ख) ग्राम मौथी के पास नदी पर स्टापडेम बनाये जाने,

(ग) ग्राम घोर टानगा स्थित तालाब को गहरा कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम गौना में नल-कूप खनन करवाये जाने,

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, झन्दौर नगर के-

(क) ए.बी.रोड से बजरंग नगर तक नई पेयजल पाइप लाइन डाले जाने,

(ख) दुबे का बगीचा (बल्लभ नगर) में दयूबवेल लगाये जाने, तथा

(ग) नेहरू नगर एवं स्ल.आई.जी. कालानी में सड़क निर्माण कराये जाने,

(4) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के-

(क) खिरकिया ब्लाक में नहर का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम भसनगांव के पास नदी पर पुल बनाये जाने,

(5) श्री प्रेमसिंह पटेल, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम सुस्तीखेड़ा स्थित तालाब को गहरा कराये जाने,

(6) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम नागचून से टिटगांव तक सड़क बनाये जाने,

(7) श्री रामपाल रिंह, सदस्य, रायसेन जिले के-

(क) सेमरी नदी पर बांध बनाये जाने, तथा

(ख) बेगमगंज नगर से उदेरा जमुनिया रोड तक सड़क बनाये जाने,

(8) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के-

(क) सरोद्धा माईनर को महराजपुर स्टापडेम से जोड़े जाने, तथा

(ख) ग्राम महराजपुर में हाईस्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकार्य प्रस्तुत करेंगे.

#### 7. उप मुख्यमंत्री (कृषि) का वक्तव्य

श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि), दिनांक 14 सितम्बर, 1995 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्रमांक 3833) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

#### 8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 35 सन् 1995) के पुरास्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरास्थापित करेंगे।

#### 9. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार एवं स्वीकृति

श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"यह सदन दिनांक 21 सितम्बर, 1995 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के अष्टम एवं नवम प्रतिवेदनों पर विचार करें तथा इन्हें स्वीकार करें।"

#### 10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 35 सन् 1995) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

#### 11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लौक महत्त्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश के आदिवासी जिले बस्तर में स्थित बैलाडीला की लौह अयरक खदान को विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में चर्चा (क्रमाः)।

(2) प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने स्वं समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमाः)।

निर्धारित समय

[घंटा 30 मि० ]  
(शेष 30 मि० )

## 12. अशासकीय विद्या विषयक कार्य

### नियमित समय

35 मि०

श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विस्थापित कल्याण विधेयक, 1995 (क्रमांक 9 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

## 13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

40 मि०

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों सबं महाविद्यालयों पर शासन के प्रभावी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए उनकी प्रबंध समिति में क्षेत्रीय विधायक को शासन के प्रतिनिधि के रूप में आवश्यक रूप से मनोनीत करने हेतु शासन निर्देश प्रसारित करे।"

(2) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

15 मि०

"इस सदन का यह मत है कि उज्जैन से झालावाड़ा (राजस्थान) क्षाया आगर होते हुए रेल्वे लाइन बिछाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये।"

30 मि०

(3) श्री मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक पटवारी हल्के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाये।"

30 मि०

(4) श्री नेमीचंद जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिये वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाये।"

## 14. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 29 अगस्त, 1995 को मुख्यमंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 125) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(2) दिनांक 8 मार्च, 1995 को मुख्यमंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 1327) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(3) दिनांक 31 अगस्त, 1995 को लोक निर्माण मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्रमांक 2721) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.सम.पी. वर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(4) दिनांक 14 सितम्बर, 1995 को राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 4350), तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 4864) सबं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्रमांक 4130) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड तथा श्री धावरचंद गेहलोत, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(5) दिनांक 19 सितम्बर, 1995 को वनमंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 5643) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री कैलाश चावला, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :  
दिनांक : 21 सितम्बर, 1995

शीला खन्ना  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा